न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर (जिला–अजमेर)

पीठासीन अधिकारी डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व वाद पत्र संख्या 51/2019

उनवान

अशोक कुमार बनाम उदाराम व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जाप्ता दीवानी

आदेश दिनांक 25.11.2019

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित जिन्हे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जाप्ता दीवानी पर सुना गया । प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 11 के अधिवक्ता श्री मोहम्मद इकबाल द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 564 के बाबत पूर्व में न्यायालय हाजा के समक्ष वाद संख्या 45/2019 है जिसका उनवान श्रीमती विमादेवी टेपण बनाम श्री अशोक कुमार वगैरह है। वर्तमान वाद भी आराजी खसरा नम्बर 564 के बाबत ही प्रस्तुत किया गया है जिसमें वाद संख्या 51/2019 का वादी अशोक कुमार वाद संख्या 45/2019 में प्रतिवादी संख्या 01 है। वर्तमान वाद से सबंधित वाद अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या 03 के समक्ष विचाराधीन है। जिएकी विवादित विषय वस्तु वर्तमान वाद से सबंधित है जिसके बाबत स्वयं वादी द्वारा वाद संख्या 45/2019 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) सपठित धारा 151 सीपीसी की पैरा संख्या 04 में स्वीकार किया है। वाद संख्या 51/2019 एवं वाद संख्या 45/2019 की विषय वस्तु एवं पक्षकारान समान है तथा एक ही अभिभाषक महोदय द्वारा प्रस्तुत किये गये है। वादी अशोक कुमार वाद संख्या 45/2019 में प्रतिवादी संख्या 01 के रूप में पक्षकार है। इस कारण उक्त तथ्य को भली भांति जानता है जिससे यह पूर्णतया सिद्व है कि वादी द्वारा जानबुझकर तथ्यों को छिपाते हुए दो अलग अलग वाद एक ही विवादग्रस्त आराजीयात बाबत समान व्यक्तियो को पक्षकार बनाते हुए प्रस्तुत किये गये है जिनके अनुतोष भी समान है। अतः में वर्तमान वाद पत्र की कार्यवाही को स्थगित किये जाने का निवेदन किया । अपने कथनो के सर्मन में 2018 (2) आर.आर.टी

Scanned by CamScanner

पेज 1151, 2017 पार्ट 1 आर आर टी पेज 59, 2016–2017 सप्लीमेन्ट आर.आर.टी पेज 299 एच.सी प्रार्थना पत्र में अंकित किया ।

वादी/अप्रार्थी अभिभाषक श्री एन.एस. राजावत द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद संख्या 45/2019 श्रीमती विमला देवी बनाम श्री अशोक कुमार न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन वर्तमान वादी के प्रे प्रतिवादी संख्या 01 के रूप में सयोजित होना स्वीकार है। परन्तु वाद संख्या 45/2019 श्रीमती विकाल देवी बनाम श्री अशोक कुमार केवल मात्र धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसमें वर्तमान प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जिसे निरस्त किया जा चुका है। जबकि वर्तमान वादी द्वारा वाद संख्या 51/2019 अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 एवं 92 ए राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार उक्त वर्णित दोनों ही वाद पत्रों के अभिवचन एवं अनुतोष हेतु पृथक–पृथक व्यथित पक्षकार द्वारा एक ही विषय वस्तु के लिए एक ही अधिवक्ता के माध्यम से समान अथवा विभिन्न न्यायालयो के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किये जा सकते है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक बाध्यता नही है तथा वादी द्वारा पूर्ववर्ती वाद संख्या 45/2019 के सबंध में किसी भी प्रकार से तथ्यों को नही छिपाया गया है अपितु वर्तमान वाद की चरणसंख्या 12 में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए स्वच्छ हाथों एवं मस्तिष्क के साथ सदभावित पक्षकार के तौर पर याचित अनुतोष हेतु वर्तमान वाद प्रस्तुत किया गया है जिसके तहत वादी साम्यता का अनुतोष प्राप्त किये जाने का अधिकारी है। इस प्रकार धारा 10 सी.पी.सी के प्रावधान वर्तमान प्रकरण पर लागू नही होने से प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया तथा अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे 2011पेज 590, आर.बी.जे 2015 पेज 48 हाईकोर्ट, एवं आरआरटी 2014–15 सप्लीमेन्ट पेज 212 हाईकोर्ट के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

हमने उभय पक्ष की बसह पर मनन किया दोनो वाद पत्रावलीयो का गहनता से अध्ययन किया गया धारा 10 जाप्ता दीवानी के प्रावधानो का गहनता से अध्ययन किया गया । वाद संख्या 45/2019 श्रीमति विमलादेवी बनाम अशोक

Scanned by CamScanner

कुमार के तहत वादी श्रीमती विमला देवी द्वारा मुख्य रूप से विभाजन का अनुतोष चाहा गया है जबकि पश्चातवर्ती वर्तमान वाद संख्या 51/2019 अशोक कुमार बनाम उदाराम वबेरह के तहत वादी द्वारा मुख्य रूप से अपने खातेदारी हक, हिस्से के बाबत पश्चावर्ती रूप से किये गये हस्तान्तरण के खातेदारी के सबंध में घोषणात्मक अनुतोष चाहा गया है । इस कारण न्यायालय के विनम्र मत में दोनो वाद पत्रो के अनुतोष भिन्न भिन्न होने से धारा 10 सी.पी.सी के प्रावधान वर्तमान वाद पत्र 51/2019 पर लागू नही होते है जिस सबंध में वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातो से भी मार्गदर्शन प्राप्त होता है । इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 11/ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जाप्ता दिवानी स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है तथा पक्षकार एवं न्यायालय समान होने से न्याय की दृष्टि से दोनो वाद पत्रो को समेंकित किया जाकर सुनवाई किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु पूर्व आदेशानुसार आगामी दिनांक 10.12.2019 को पेश हो ।

डॉ0 आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2019.12.06 15:40:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: